

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... हुमना अहमद अधिकारी मुकाम..... बुद्धी

..... बनाम..... लड्डू

किस्म मुकदमा..... 11/17 नं..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-12-17	वकील जकी इमन इजाबिल जने सम्मान तल्लु लोक प्रवाली डिप्ट 10-1-18 को पेश हो जवना पर रज रजिस्टर करे जाणे।	
10-1-18	वकील जकी इमन इजाबिल की तल्लु हेड जकी जग: सम्मान तल्लु पेश करे प्रवाली डिप्ट 22-1-18 को पेश हो।	
22-1-18	प्रवाली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर टौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे ब्यस्थ है/ अभिभाषण कन्डोलोन्स पर है। अतः प्रवाली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..... 16-3-18..... को पेश हो।	
16-3-18	वकील जकी एन पेरुल्लु एरकर इमन इजाबिल लड्डू का गूलकड में ब्यासनाका पेश हो चुका है प्रवाली कल्ले जवना डिप्ट 18-4-18 को पेश हो।	लड्डू
19-4-18	दि. 18-4-18 को लड्डू नजिक इजाबिल को पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर टौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे ब्यस्थ है/ अभिभाषण कन्डोलोन्स पर है। अतः प्रवाली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..... 23-5-18..... को पेश हो।	

मे साक्ष्य एवं रिकॉर्ड से ही साबित  
 हो सकते हैं। महा सम्बन्ध लिखे जा सका  
 के प्रा. पत्र से प्रकटीय के पक्ष से  
 केस एवं सुविधा का संतुलन नहीं  
 होने से प्रकटीय पत्र आर्वाइव लिखे जा सका  
 रणरिज क्रिया वाला है। पत्रावली केवल  
 दुष्प्रकार होने मूल नद के संतुलन है।



न्यायाधीश

6

